

भारत में महिलाओं की स्थिति

प्रा. चेतना भट

गृहअर्थशास्त्र विभाग प्रमुख

राजकुमार केवलरामानी कन्या महाविद्यालय

जरीपटका, नागपुर

Email ID: chetnajoshibhatt@gmail.com

सारांश -

भारत में महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा जटिल और बहुआयामी है हालांकि भारत में महिलाओं के अधिकारों में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है लेकिन समाज के कई क्षेत्रों में लैंगिक असमानता और भेदभाव अभी भी मौजूद है एक प्रमुख मुद्दा महिलाओं के खिलाफ हिंसा है भारत में महिलाओं को घरेलू हिंसा यौन उत्पीड़न और हमले का खतरा सरकार ने महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए कई कानून पेश किए हैं जिनमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न यहां अधिनियम शामिल है भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों को मौलिक मानवाधिकार के रूप में मान्यता है जैसे की समानता का अधिकार भेदभाव के खिलाफ अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार शोषण के खिलाफ अधिकार शिक्षा का अधिकार काम का अधिकार राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार आदि अधिकार महिलाओं के लिए है। महिलाओं के समक्ष निम्न चुनौतियां होती है जैसे महिलाओं के खिलाफ हिंसा, जेंडर पे गॉप, शिक्षा तक सीमित पहुंच कार्यस्थल में भेदभाव, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव, स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच, बाल विवाह आदि।

महिलाओं के अधिकार एक नए पूर्ण और समानता मूलक समाज का एक अनिवार्य घटक है जबकि भारत में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है अभी भी कई चुनौतियां हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है लो सच्ची लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए सभी हित धारकों को एक अधिक न्याय संगत और नए संगत समाज बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। जो महिलाओं की पूर्ण भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।

सांकेतिक शब्द: महिलाओं के अधिकार, चुनौतियां, आर्थिक सशक्तिकरण,

प्रस्तावना -

महिला अधिकारों का परिचय -

महिलाओं के अधिकार सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी अधिकारों को संदर्भित करते हैं जो महिलाओं को लैंगिक समानता के सिद्धांत के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। महिलाओं के अधिकार एक मौलिक मानव अधिकार हैं और लैंगिक समानता प्राप्त करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं।

ऐतिहासिक रूप से, महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया है और शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक



भागीदारी सहित सार्वजनिक जीवन के कई पहलुओं से बाहर रखा गया है। महिलाओं के अधिकार आंदोलनों ने महिलाओं के लिए समान अधिकारों की वकालत करने और उन्हें सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें मतदान का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और काम करने का अधिकार शामिल है। महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, महिलाओं को अभी भी पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, कार्यस्थल में भेदभाव, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच और सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व शामिल हैं।

अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत समाज बनाने के लिए महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है। लैंगिक असमानता को बनाए रखने वाली प्रणालीगत बाधाओं और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को दूर करने के लिए सरकारों, नागरिक समाज और व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है।

भारत में महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा जटिल और बहुआयामी है। हालांकि भारत समाज के कई क्षेत्रों में लैंगिक असमानता और भेदभाव अभी भी मौजूद है। भारत ने महिलाओं के अधिकारों में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन भारत में, महिलाओं को वोट देने, काम करने और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। भारत का संविधान भी पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करता है। हालांकि, इन कानूनी सुरक्षा के बावजूद, भारत में महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

एक प्रमुख मुद्दा महिलाओं के खिलाफ हिंसा है। भारत में महिलाओं को घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और हमले का खतरा है। सरकार ने महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए कई कानून पेश किए हैं, जिनमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम शामिल हैं। हालांकि, इन कानूनों का कार्यान्वयन धीमा और अप्रभावी हो सकता है।

एक और चुनौती लैंगिक वेतन अंतर है। भारत में महिलाएं समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में कम कमाती हैं, और कई उद्योगों और क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व कम है। इससे महिलाओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना और अपने करियर में आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है।

सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएँ भी हैं जो महिलाओं के अवसरों और अधिकारों को सीमित करती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में कई महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वे अपने करियर के ऊपर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देंगी, और उन्हें पारंपरिक लिंग भूमिकाओं के अनुरूप दबाव का सामना करना पड़ सकता है। ये सांस्कृतिक और सामाजिक अपेक्षाएँ महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और अन्य अवसरों को प्राप्त करना कठिन बना सकती हैं।

इन चुनौतियों के बावजूद भारत में कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने और लैंगिक समानता में सुधार के लिए काम कर रही हैं। महिला अधिकार संगठन और कार्यकर्ता कानूनी और नीतिगत बदलावों की वकालत कर रहे हैं और महिलाओं के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। निरंतर प्रयासों से, भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति करना संभव है। सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएँ भी हैं जो महिलाओं के अवसरों और अधिकारों को सीमित करती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में कई महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वे अपने करियर के ऊपर अपनी पारिवारिक

जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देगी, और उन्हें पारंपरिक लिंग भूमिकाओं के अनुरूप दबाव का सामना करना पड़ सकता है। ये सांस्कृतिक और सामाजिक अपेक्षाएँ महिलाओं के लिए शिक्षा, रोज़गार और अन्य अवसरों को प्राप्त करना कठिन बना सकती हैं।

इन चुनौतियों के बावजूद भारत में कई ऐसी महिलाएँ भी हैं जो महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने और लैंगिक समानता में सुधार के लिए काम कर रही हैं। महिला अधिकार संगठन और कार्यकर्ता कानूनी और नीतिगत बदलावों की वकालत कर रहे हैं और महिलाओं के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। निरंतर प्रयासों से, भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति करना संभव है।

भारतीय संविधान महिलाओं के अधिकारों को मौलिक मानवाधिकारों के रूप में मान्यता देता है और उनके संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रावधान प्रदान करता है। भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधान हैं:

समानता का अधिकार -

संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता के अधिकार और सभी व्यक्तियों के लिए कानून की समान सुरक्षा की गारंटी देता है, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो।

भेदभाव के खिलाफ अधिकार -

अनुच्छेद 15 लिंग, जाति, जाति, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।

स्वतंत्रता का अधिकार-

अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें प्रतिशोध के डर के बिना किसी के विचार और राय को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार शामिल है।

शोषण के खिलाफ अधिकार-

अनुच्छेद 23 महिलाओं और बच्चों सहित मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है।

शिक्षा का अधिकार -

अनुच्छेद 21A लड़कियों सहित छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है।

काम का अधिकार -

अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य काम के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा, जिसमें महिलाओं के अधिकार भी शामिल हैं, जो अक्सर श्रम बल में हाशिए पर हैं।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार -

अनुच्छेद 243D में यह अनिवार्य है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय सरकारी निकायों में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार -

अनुच्छेद 32 महिलाओं के अधिकारों सहित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है।



ये प्रावधान भारत में महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने में सहायक रहे हैं, लेकिन उनके प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन को सुनिश्चित करने में चुनौतियां बनी हुई हैं। महिला अधिकार संगठन और कार्यकर्ता भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देने के लिए कानूनी और नीतिगत बदलावों की वकालत करना जारी रखते हैं।

भारत ने हाल के वर्षों में महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालाँकि, अभी भी कई चुनौतियाँ हैं जिन्हें देश में सच्ची लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है। भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए कुछ मुख्य चुनौतियाँ इस प्रकार हैं:

महिलाओं के खिलाफ हिंसा -

भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारत में महिलाओं को घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, बलात्कार और ऑनर किलिंग सहित कई हिंसक कृत्यों का सामना करना पड़ता है। इनमें से कई अपराध सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं के कारण रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं।

जेंडर पे गैप -

भारत में महिलाओं को अभी भी एक महत्वपूर्ण जेंडर पे गैप का सामना करना पड़ता है, समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में महिलाएं काफी कम कमाती हैं। यह वेतन अंतर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के लिए और भी व्यापक है।

शिक्षा तक सीमित पहुंच -

जबकि शिक्षा भारत में सभी बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है, सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं के कारण अभी भी कई लड़कियां शिक्षा तक पहुंच से वंचित हैं। कई लड़कियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कम उम्र में शादी कर लें और शिक्षा पर घरेलू जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें।

कार्यस्थल में भेदभाव -

भारत में महिलाओं को कार्यस्थल पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसमें करियर में उन्नति के सीमित अवसर और यौन उत्पीड़न शामिल हैं। कई महिलाओं को पारिवारिक जिम्मेदारियों और सामाजिक अपेक्षाओं के कारण अपनी नौकरी छोड़ने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव -

भारत में महिलाओं का राजनीति में कम प्रतिनिधित्व है, निर्वाचित अधिकारियों में महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है। प्रतिनिधित्व की इस कमी का महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाली नीतियों और निर्णयों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच -

भारत में महिलाओं को अक्सर स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। कई महिलाएं वित्तीय बाधाओं, शिक्षा की कमी और सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं के कारण आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने में असमर्थ हैं।

बाल विवाह -

बाल विवाह भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। बाल विवाह पर रोक

लगाने वाले कानूनों के बावजूद, यह प्रथा प्रचलित है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। बाल विवाह का लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य के अवसरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर, इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें कानूनी और नीतिगत सुधार, सामुदायिक जुड़ाव और लैंगिक भूमिकाओं और समानता के प्रति सांस्कृतिक दृष्टिकोण में बदलाव शामिल हैं।

भारत में महिला अधिकारों के समाधान -

भारत में लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जिसमें सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र सहित कई हितधारक शामिल होते हैं। भारत में महिलाओं के अधिकारों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए यहां कुछ संभावित समाधान दिए गए हैं:

मजबूत कानूनी ढांचा -

भारत ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जैसे कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013। हालांकि महिलाओं की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इन कानूनों के बेहतर कार्यान्वयन और सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता है।

लैंगिक-संवेदनशील शिक्षा -

महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है। लिंग-संवेदनशील शिक्षा को बढ़ावा देने और लड़कियों के लिए सुरक्षित और समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने की आवश्यकता है। इसमें शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना, लैंगिक रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों को संबोधित करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि बाल विवाह या अन्य सांस्कृतिक प्रथाओं के कारण लड़कियों को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर न किया जाए।

आर्थिक सशक्तिकरण -

लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने के लिए महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। इसमें महिलाओं को वित्तीय संसाधनों तक पहुंच, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना शामिल है। सरकार उद्यमशीलता और कौशल निर्माण की पहल को बढ़ावा दे सकती है जो महिलाओं के लिए लक्षित है और यह सुनिश्चित करती है कि महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व -

लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक निर्णय लेने में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इसमें महिलाओं के लिए स्थानीय सरकारी निकायों और राजनीतिक दलों में सीटों का एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित करना, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देना और महिलाओं की राजनीतिक शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंच बढ़ाना जैसे उपाय शामिल हैं।

स्वास्थ्य और सुरक्षा -

महिलाओं का स्वास्थ्य और सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए, और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने



और महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने की आवश्यकता है। इसमें लिंग-संवेदनशील स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना, महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और हिंसा से बचे लोगों को सहायता सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

बदलते सांस्कृतिक मानदंड -

लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए महिलाओं के प्रति गहरे सांस्कृतिक मानदंडों और दृष्टिकोणों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। इसमें लैंगिक-संवेदनशील मीडिया को बढ़ावा देना, महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लैंगिक असमानता को बनाए रखने वाले सामाजिक मानदंडों को बदलने के लिए समुदायों के साथ काम करना शामिल है। अंत में, भारत में लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों से निरंतर और ठोस प्रयास की आवश्यकता है। इन समाधानों को लागू करके और एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर, भारत एक अधिक न्यायसंगत समाज बना सकता है जो महिलाओं की पूर्ण भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष -

महिला अधिकारों और भारतीय कानूनों के लिए निष्कर्ष अंत में, महिलाओं के अधिकार एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज का एक अनिवार्य घटक हैं। जबकि भारत ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, अभी भी कई चुनौतियां हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं का संरक्षण और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 जैसे भारतीय कानून, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। हालांकि, इन कानूनों के बेहतर कार्यान्वयन और महिलाओं को न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता है।

भारत को लैंगिक असमानता को बनाए रखने वाले गहरी जड़ें जमाए हुए सांस्कृतिक दृष्टिकोण और मानदंडों को भी संबोधित करना चाहिए। इसमें लिंग-संवेदनशील शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सामाजिक मानदंडों को बदलने के लिए समुदायों के साथ काम करना शामिल है। सच्ची लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए, सभी हितधारकों को एक अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत समाज बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए जो महिलाओं की पूर्ण भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। तभी हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो और महिलाएं अपनी क्षमता का पूरी तरह से एहसास कर सकें और देश के विकास में योगदान दे सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची -

- भारत में महिलाओं की स्थिति <https://www.drishtiiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/status-of-women-in-india>
- भारत में महिलाओं के उत्थान और विकास से संबंधित कानूनों का विश्लेषण <https://taxguru.in/corporate-law/analysis-laws-related-upliftment-development-women-india.html>
- महिलाओं के संवैधानिक अधिकार
- <https://kanoonmitra.com/>

